प्रारूप--2

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक द्वितीय अलवर (राज.)

संख्यांकः- 203

दिनांकः- 31.01.16

प्रबन्धक

सचेत कॉन्वेन्ट

सी० सै० पुर (कोटकासिम)

विषयः- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा-18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 11 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय का मान्यता प्रमाण - पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके दिनांक 31.12.15 के आवेदन (प्रारूप 1 स्वघोषणा पत्र) और इस संबंध मे विद्यालय के साथ पाश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिदेश से मै सचेत कॉन्वेन्ट सीनियर सैकण्डरी स्कूल पुर (कोटकासिम) (विद्यालय का नाम पते सहित) को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए अन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो को पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विरतारणी नही है ओर उसमे किसी भी रूप मे कक्षा-8 के पश्चात मान्यता / सम्बधन के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 मे उस कक्षा के बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस -पडौस के कमजोर वर्गो और अलाभप्रद समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 मे निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा -12 (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का प्रमाण न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा। यदि ऐसा प्रवेश जन्म स्थान धर्म जाति या प्रजाति या इनमे किसी एक उपलब्ध /निर्धारित आधार पर उत्तवर्ती चाहा गया है।
7. विद्यालय सुनिश्चित करेगा किः-

E:\manyta dt 31-01-16.doc

Principal
Sachet Convent
PUR, ALWAR (RAJ.)

...ipal
...Convent
...ALWAR (RAJ.)